Indian Stamp (Behar Amend 1991 (Behar Aprent) Act, 1991

Serves do do chrost



बिहार गजब

असाचारण अंग

विहार सरकार द्वारा प्रकावित

4 अग्हायण 1913 (सा०)

िर्माठ पटना 548] पटना, सोमवार, 25 नवम्बर 1991

विधि विभाग

अधिस्चनाएं

22 नवस्त्र 1991

मं० इत० जी० 1-32/91-लंड०-402-विहार विधान-मंदल का निञ्चितिक आंशनियम जिसकर राष्ट्रपदि 4 नवम्बर, 1991 को अनुमति हो बुके हो, इसके हास सर्वेखधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:

[विहार अधिनियम--8 ,1991]

भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम 1991

बिहार राज्य में लागू होने के लिए भारतीय स्टाम्प श्रधिनियम, 1899 का संशोधन करने के लिये श्रधिनियम ।

मारत गणराज्य के बदाली सर्वे वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्न-निश्चित रूप से यह अधिनियमित हो——

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्म।—(1) यह प्रविनियम भारतीय स्टाम्प (बिष्टार संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जा सके गा।
 - (2) यह सम्पूर्ण विहार राज्य में लागू होगा।
- (3) यह उस तिथि के प्रभावी होगा जो राज्य सरकार बिहार राजपत्र में धार्म स्वारा नियत करें।
- 2. म्रिधिनियम 2, 1899 की धारा 10 के बाद नई धारा का अन्तःस्थापन ।— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम 2, 1899) (इसके पश्चात उकत अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की घारा 10 के बाद निम्नलिखित नई धारा अन्तः स्थापित की जायगी, यथा—
 - "10-क. मुल्क का नकद भुगतान—(1) स्टाम्प मुल्क के सम्बन्ध में धारा
 10 के अन्तर्गत उपबन्ध के होते हुए भी, उहां समाहर्ता सन्तुष्ट
 हों कि जिला में स्टाम्प का अभाव है या वांछित मूल्य का स्टाम्प
 उपलब्ध नहीं है, वह नकद रूप में मुल्क के भुगतान की अनुमति
 दे सकते हैं और यथास्थिति कोधागार अथवा उप-कोधागार पदाधिकारी को साक्ष्य के रूप में कोधागार अथवा उप-कोधागार में जमा
 का चालान प्रस्तुत करने पर लिखत अथवा लिखितो पर नकद रूप
 में वांछित राशि का मुल्क जमा का पृष्ठांकण करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।
 - (2) उप-धारा (1) के ग्रन्तगंत किसी लिखित पर किये गये पृष्ठांकण का बही प्रभाव होगा जैसा कि पृष्ठांकण में उल्लिखित मूल्य के समतुल्य राशि के लिखित पर स्टाम्प के रूप में धारा-10 की आवश्यकताओं के श्रनुसार भुगतान की गई शुल्क का है। "

3. ग्रीधिनियम 2, 1899 की धारा 47-क में संबोधन।—(1) उनत अधि-नियम में विहार प्रथितियम, 15, 1988 हारा धन्तःस्वापित धारा 47-क में जन्द "लिखित में सही रूप में नहीं वर्ज किया गया है" के बाद गव्द "या इस श्रीधित-सम के तहत बनाये नियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मृत्य से भी कम हो" अन्तःस्यापित किया जावगा।

- (2) उनत अधिनियम में बिहार अधिनियम 15, 1988 द्वारा भन्तःस्वापित धारा 47-क में शब्द "निवन्धन के बाव" शब्द "स्वीकार करते समय"भन्तःस्वापित किया जायना ।
- 4 अधिनियम 2, 1899 की धारा 75 में संशोधन ।—उनत अधिनियम की आरा 75 में जब्दों किसी भी परिस्थिति में पांच सौ से अधिक नहीं के स्थान पर शब्दों न्यूनतम पांच सौ दे था जितने मुल्क का अपवंचन किया गया है, जो अधिक हो अतिस्थापित किया जायगा।
- 5. श्रीविनियम 2, 1899 को शनुसूची 1-ध में प्रतिस्थापन 1—उक्त श्रीधिनियम में बिहार स्थाप्य (संशोधन) श्रीविनियम, 1937 (बिहार श्रीविन्यम 6, 1937) द्वारा संशोधित धनुसूची—1-ध में— (1) कम संख्या 15 के स्तम्भ-1 में प्रयुक्त 1,000 द० से अधिक होने पर हरेक 500 द० या उसके माम के लिए" एक स्तम्भ-2 में प्रयुक्त "कम्बाः चार द० पच्चीस पै से", 1 पूर्व 2 प्रतिश्वत, के स्वाम पर निम्नलिखित प्रविध्यां प्रतिस्थापित की जायेंगी:—

लिखत का वर्णन

समचित स्टाम्य शस्क

हर 500 रू० या उनके भाग के लिए जहां 12 रू० यह 1,000 रू० से प्रधिक हो किन्तु 5,000 रू० से प्रधिक न हो ;

जहां वह 5,000 २० से प्रधिक हो किन्तु लिखत मूल्य का 2.5 प्रतिशक्त 50,000२० से प्रधिक न हो, और जहां यह 50,000२० से प्रधिक हो। लिखत मूल्य का 3 प्रतिशत।

(2) कम संस्था 23 के स्तम्भ 1 में प्रयुक्त" 1,000 र० से श्रीयक होने पर हरेक 500 र० या उसके भाग के लिये "स्तम्भ 2 में प्रयुक्त"कमशः श्राट र० पकास

वेसे, 21 एवं 31 प्रतिशत" प्रविधिटयों के स्थान पर सिम्निसिखित प्रविधिटगा अन्त स्थापित की जावगी--

· लिखत मा वर्णन

राम्यित स्टाम्प शुलक

इके 500 का उसके भाग के लिये अक्षां बहु 1,000 रु से क्रीयकः + 110/ अस्टिस्स्ट

25 50

बहाँ वह 5,000 रु से शिवक विस्तृ 50.000 रु० से प्रधिक न हो ;

लिखत के मुख्य का 5 प्रतिशत + 110% 3 faprit

अहा यह 50,000 रु से प्रधिक हो।

लिखत के मुख्य का 7 प्रतिज्ञत ।

तमचन्द्र प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव (

22 नवम्बर 1991

रं एस० जी० 1-32/91-लेज० 403-विशार विधान-मंहत द्वारा यथापारिस और राष्ट्रपति द्वारा 4 नवस्वर 1991 को अनुमत भारतीय स्टाम्प (विहार संशोधन) अधिनियम, 1991 (विद्यार अधिनियम 8, 1991) का निम्निविद्यात अंग्री अनुवाद विहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके झार प्रकाशिव विधा जाता हैं, जिसे भारतीय संविधान के अनुष्ठांद 348 के खंड (3) के अधीय देशच जिधिनियम का अंगोबी भाषा में प्राधिकत पाठ समभा जायगा

Eihar Act-8, 19911

THE INDIAN STAMP (BIHAR AMENDMENT) ACT, 1991.

AN

ACT.

TO AMEND THE INDIAN STAMP ACT, 1899 IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF BIHAR

BE, it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the forty second year of the Republic of India as follows.—

- 1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Indian Stamp (Bihar Amendment) Act, 1991.
 - (2) It extends to the whole of the State of Bihar
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Bihar Gazette, appoint.
- 2. Insertion of new section after section 10 of Act 2, 1899.—After section 10 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act 2, 1899) (hereinafter referred to as the said Act) the following new section shall be inserted, namely:
 - 10-A. Payment of duty in cash.—(1) Notwithstanding anything contained in section 10, where the Collector is satisfied that there is temporary shortage of stamp in the district or that stamps of required denomination are not available, he may permit duty to be paid in cash and authorise the Treasury or Sub-Treasury Officer, as the ease may be on preduction of challan in evidence of payment of duty in the Government Treasury or Sub-Treasury to certify by endorsement on the instruments the amount of duty so paid in cash.

- (2) An endorsement made on any instrument under subsection (1) shall have the same effect as if the duty of an amount equal to the amount stated in the endorsement has been paid in respect thereof and such payment has been indicated on such instrument by means of Stamp in accordance with the requirement of section 10."
- 3. Amendment in section 47 A of Act 11 of 1899.—(1) In section 47A of the said Act as inserted by Bihar Act 15, 1988 after the words "Set forth in the instrument" the words "or is less than even the minimum value determined in accordance with any rules made under this Act" shall be inserted.
- (2) In section 47A of the said Act as inserted by Bihar Act, 15, 1988 the words "after registering" shall be substituted by the words "at the time of admitting".
- 4. Amendment in section 75 of Act II of 1899.—In section 75 of this said Act the word "in no case exceed five hundred rupees" shall be inserted by "be minimum five hundred rupees or equivalent to the amount of duty evaded whichever is more".
- Substitution in Schedule 14 of Act II of 1899.—In Schedule IA of the said Act as amended by Bihar Stamp (Amendment) Act, 1937 (Bihar Act VI of 1937)—
 - (1) in serial No. 15, the entries "and for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1,000" appearing in column 1 and "four rupecs twenty five paise, 12 per cent and 2 per cent respectively" appearing in column 2, the following entries shall be inserted namely.

Column 1

For every Rs. 500 or part thereof where it exceeds Rs. 1,000 and does not exceed Rs. 5,000.

Where it exceeds Rs. 5,000 but does not exceed Rs. 50,000; and Where it exceeds Rs. 50,000 Rs. 12.00 + 110% Switchery

Rs. 2.5 per cent of the value of the instrument. #186/ swieleg 3 per cent of the value of the instrument.

+ 110%. Swielege

(2) In serial number 23, for the entries "and for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1,000" appearing in column 1 and "eight rupees fifty paise, 2½ per cent and 3½ per cent" appearing in column 2, the following entries shall be inserted, namely.—

"Column 1

For every Rs. 500 or part thereof where it exceeds Rs. 1,000 and does not exceed Rs. 5,000.

Where it exceeds Rs. 5,000 but does not exceed Rs. 50,000; and

Where it exceeds Rs. 50,000

Company of the

Column 2

Rs. 25.00 +110%. Awacharge

5 per cent of the value of the instrument. + 110%. swickwise

7 per cent of the value of the instruments. ' + 110'/. प्रेक्टरिक्युंग विद्यार-राज्यपाल के आदेश सं,

रामचन्द्र प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव ।

स्थीक्षक राजकीय लेखन सामगूरी मंद्वार एवं प्रकाशनः पटना द्वारा प्रकाशित तथा श्रद्धीक्षक, स्विवालय मुद्रणालय, विद्वार, पटना द्वारा मुद्रित ।

बिहार वजट, (ग्रसाधारण), 548-नाइनी-780-890 पी० के० वनर्जी